बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार, पटना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 – 07/14–15

1. परिचयात्मक :–

(क)	अंकेक्षित लेखा का नाम –	प्रखण्ड विकास कार्यालय, पटना सदर के अन्तर्गत पंचायतो को प्रदत अनु0 जाति, जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को दी जाने वाली छात्रवृति योजना का अंकेक्षण।
(ख)	अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधि –	वर्ष 2010–11 से 2011–12 तक।
(ग)	प्रशासी विभाग का नाम –	ग्रामीण विकास विभाग/अनु0जाति, जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना।
(घ)	अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदाधिकारी का नाम, पदनाम तथा कार्यकाल–	(i) श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा भा0प्र0से0, जिलाधिकारी दि0–01.04.10 से 11.02.2011 तक (ii) श्री संजय कुमार सिंह भा0 प्र0 से0, जिलाधिकारी दि0–12.2.11 से 31.3.12 तक
(ड़)	अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी पदाधिकारी एवं कर्मचारी का नाम एवं पदनाम कार्यकाल –	(i) श्री अशोक कुमार सिंह प्र0 वि0 पदा0 दि0 – 1.4.10 से 14.7.11 तक (ii) श्री रज्जन लाल निगम प्र0 वि0 पदा0 दि0–15.7.11 से 31.3.12 तक (iii) श्री श्यामा कान्त वर्मा प्रधान सहायक दि0–1.4.10 से 31.3.12 (iv) श्री राकेश कुमार, नजीर दि0–1.4.10 से 31.3.12

		(v) पंचायत सेवक एवं मुखिया का नाम, एवं कार्यकाल प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' पर अंकित
(च)	अंकेक्षण में सहयोग देने वाले कर्मचारी का नाम :–	(1) श्री अलोक कुमार, प्रधान सहायक (2) श्री अशोक कुमार, नाजीर (3) पंचायत सेवक (1) श्री विजय कुमार (2) श्री अभिमन्यू कुमार सिंह (3) ,, सुधांशु पाण्डे (4) ,, रामविलास पासवान (5) ,, खोबारी यादव (6) ,, मनोज कुमार
(छ)	वरीय अंकेक्षकों का नाम –	(1) ओम प्रकाश गुप्ता, व0अं0–2 (2) श्री रामचन्द्र प्रसाद, व0अं0–2 (3) श्री राजीव रंजन गुप्ता, व0अं0–2
(ज)	अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि :-	18.10.13
(झ)	अंकेक्षण समापन तिथि –	13.3.14
(ञ)	अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवसों की सं0 –	$7\frac{2}{3}$
(ट)	अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत प्रतिवेदन के परिशिष्ट अभिलेखों की सुची –	'ख' पर अंकित है।

2. <u>अंकेक्षण का क्षेत्र</u> :–

(i) अंकेक्षण का प्रकार :– सामान्य

(ii) <u>वित्त विभाग का आदेश सं0 एवं तिथि</u> :– मुख्य लेखा नियंत्रक वित्त (अं0) विभाग के कार्या0 आ0 सं0–41 दि0–26.4.13 एवं विभागीय आदेश सं0–3286 दि0– 15.9.60

(iii) <u>कार्यालय का कार्य क्षेत्र</u> :– प्रखण्ड विकास कार्यालय पटना सदर, पटना के अन्तर्गत सभी पंचायतो एवं प्रखण्ड अन्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं जो अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के है, को छात्रवृति का वितरण किया जाता है।

(iv) <u>**वित्तीय श्रोत**</u> :– (i) जिला के द्वारा चेक के माध्यम से राशि प्राप्त की जाती है एवं चेक के द्वारा ही सभी पंचायतो को राशि उपलब्ध करायी जाती है।

(ii) अनुदान प्राप्त नही किया गया था।

(v) कोषागार अभिलेख से सत्यापन कोषागार से निकासी नहीं की गई की स्थिति :– इसलिए सत्यापन का प्रश्न नही उठा।

(vi) महालेखाकार के पूर्व के निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति :– कोई भी प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया, इसलिए अनुपालन की जानकारी नहीं हो सकी।

(vii) वित्त (अं0) विभाग से अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति :– कोई भी अंकेक्षण प्रतिवेदन नहीं उपलब्ध कराया गया। इसलिए अनुपालन की जानकारी नहीं हो सकी।

(3) वित्तीय समीक्षा :–

(i) आवंटन की स्थिति

क्या आवंटन से अधिक व्यय किया गया है – नहीं

(ii) अनुदान की स्थिति :– अनुदान प्राप्त नहीं किया गया था।

(iii) प्राप्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को प्रेषित किया गया था ?

अनुदान प्राप्त नहीं था इसलिए उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजा गया।

(iv) रोकड़ पुस्त में संवरण शेष के राशि का भौतिक सत्यापन की स्थिति :– रोकड़ पुस्त अद्यतन संधारित नही रहने के कारण अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि को भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका।

वित्तीय वर्ष 10–11 में प्रखण्ड द्वारा चेक के माध्यम से राशि सीधे पंचायत को दी गई थी जिसका काई भी अभिलेख (रोकड़ पुस्त, पासबुक एवं अभिश्रव आदि) अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं कराया गया। वर्तमान पंचायत सेवक द्वारा बताया गया कि हमलोगों को

काई भी लेखा का प्रभार उक्त अवधि में दी गई राशि का नहीं मिला है। उल्लेखनीय है कि अधिकांश पंचायत सेवक या तो स्थानान्तरित होकर धनयत्र चले गये थे या सेवा निवृत हो गये थे। वित्तीय वर्ष–11–12 पंचायत को जो राशि उपलब्ध करायी गई उसे बैंक पासवुक में जमा दिखाया गया। आवश्यकतानुसार बैंक से राशि की निकासी कर छात्रवृति का वितरण किया गया था। तदनुसार रोकड़ पुस्त में भी प्रविष्टि की गई थी। इस प्रकार त्रृटिपूर्ण लेखा के संधारण के लिए उच्चाधिकारियों का विशेष तौर पर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(v) रोकड़ पुस्त के संवरण शेष की स्थिति :– रोकड़ पुस्त वर्ष 11–12 के पूर्व का नहीं मिलने से वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं हो सकी वर्ष 10–11 एवं 11–12 में जो राशि पंचायत को चेक के द्वारा दी गई, इसी के आधार पर आय व्यय विवरणी तैयार किया गया जिसे प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ग' पर अंकित किया गया अवलोकन से ज्ञात होगा कि वर्ष 11–12 में छात्रवृति वितरण के पश्चात् कुछ पंचायतों में जो राशि बची है या तो इसे पासबुक में जमा किया गया है या सम्बन्धित पंचायत सेवक के पास बचा हुआ पाया गया। जिसे अनुबर्ती कंडिका में बची हुई राशि को सम्बन्धित शीर्ष में जमा अथवा वसूली का सुझाव किया गया।

इसी प्रकार प्रखण्ड स्तर पर भी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलो में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भी प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी एवं स्कूलो के प्रधानाध्यापक की देखरेख में छात्रवृति का वितरण किया गया था, जिसका आय व्यय विवरणी अलग प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ग' पर अंकित है। अवलोकन से ज्ञात होगा कि अंकेक्षित अवधि के पूर्व एवं बाद में भी एक बड़ी राशि पड़ी हुई पायी गई ऐसा प्रतीत होता है कि छात्रवृति के वितरण में तत्परता नहीं दिखायी गई, अन्यथा इतनी बड़ी राशि बची हुई नहीं रहती।

अंकेक्षण का आधार मुख्य रूप से बैकों का पासबुक एवं छात्रवृति वितरण के पश्चात प्रस्तुत अभिश्रव रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि नियमों की अवहेलना की गई है न तो आम सभा द्वारा पारित आदेश अंकेक्षण के पटल पर प्रस्तुत किया गया और न ही स्कूल द्वारा प्रेषित छात्रो की सूची एवं उपस्थिति पंजी आदि उपलब्ध कराया गया।

अतः इस सम्बन्ध में उच्च पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की त्रृटि का पूणवृति न हो ताकि सरकार के इस महत्वकाक्षी योजना का सफल संचालन हो सके।

भाग –2

(4) रू0 96,580 का प्रभार नहीं दिया जाना, सम्भावित गबन ।

शीर्ष 2235 कल्याण अन्तर्गत फतेहपुर पंचायत के अनु0 जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृति वितरण से सम्बन्धित अंकेक्षण में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 10–11 में सम्बन्धित पंचायत सचिव को छात्रवृति वितरण हेतु चेक सं0–135/32 दि0 22.4.10 के द्वारा रू0 96580.00 उपलब्ध कराया गया था। उक्त राशि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। इस सम्बन्ध में लिखित एवं प्र0 वि0 पदा0 द्वारा भी सूचित किया गया।

यह एक गम्भीर विषय है क्योंकि वर्ष–11–12 से सम्बन्धित राशि जो फतेहपुर पंचायत को दी गई थी इसका अंकेक्षण वर्तमान पंचायत सचिव द्वारा कराया गया था पूर्व पंचायत सचिव के विषय में पूछने पर बताया गया कि इनका स्थानान्तरण किसी दूसरे प्रखण्ड मे हो गया है। एवं धनी तक कोई भी (वित्तीय वर्ष 10–11 मे छात्रवृति से सम्बन्धित) अभिलेख प्रभार में नहीं किया गया और न ही कोई बैंक पासबुक एवं रोकड़ पुस्त एवं अभिश्रव उपलब्ध कराया गया।

इस सम्बन्ध में आपत्ति निर्गत किया गया परन्तु अनुपालन में भी सिर्फ नोटिश देने की कार्यवाई करने को कहा गया। अतः चेक सं0 135132 दि0 22.4.10 द्वारा फतेहपुर पंचायत को दी गई राशि रू0 96,580 के गबन की सम्भावना प्रतीत होता है। अतः उच्चाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि अपने स्तर से इसकी जॉच कर की गई कार्यवाई से वित्त (अं0) विभाग को भी अवगत कराया जाय अन्यथा कि स्थिति में तदनुसार अपेक्षित कार्रवाई की जाय।

(5) छात्रवृति की बची हुई राशि रू0 64920.00 का सम्भावित गबन :–

विभिन्न पंचायतों को वर्ष–11–12 में छात्रवृति वितरण हेतु पंचायत सचिव को देय में माध्यम से राशि उपलब्ध करायी गई थी। पंचायत सचिव द्वारा पूर्व राशि की बैंक में जमा के पश्चात निकासी कर ली गई थी परन्तु पूर्ण राशि का वितरण नहीं हो सका शेष राशि पंचायत सचिव में पास नकद बचा हुआ था जो चालू अंकेक्षण तक भी बैंक में जमा नहीं किया जा सका। और न रोकड़ पुस्त में लाया गया ।

विवरण निम्नवत् है :–

पंचायत का नाम	पंचायत सचिव का नाम	चेक सं0 एवं दि0	उपलब्ध करायी गई राशि	व्यय राशि	अवशेष नकद जमा पंचायत सचिव के पास
(1) उतरी मैनपुरा	श्री राम विलास पासवान	372241 23.11.11	35,800	27,360	8440.00
(2) महुली	श्री मनोज कुमार	(i) 372234 (ii) 372253 23.11.11 (iii) 372216 8.9.11	255800	199320	56480.00

कुल – 64920.00

इस सम्बन्ध में आपत्ति निर्गत किया गया, अनुपालन में बताया गया कि जॉचोपरान्त कार्यवाई की जायेगी। रू0 64920.00 किस परिस्थिति में पंचायत सचिव के पास नगद पड़ा हुआ था। यदि छात्रवृति निकट भविष्य में भुगतान नहीं करना था, तो उसे बैंक में जमा कर दिया जाना चाहिए था। अतः इसकी जॉच सक्षम पदाधिकारी से जॉच कर वस्तु स्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय, तबतक रू0 64,920 को सम्भावित गबन की श्रेणी में रखा जाता है। अन्यथा कि स्थिति में तदनुसार कार्रवाई अपेक्षित है।

(6) मरची पंचायत अन्तर्गत पंचायत सेवक द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने के फलस्वरूप रू0 407380.00 का भुगतान आपत्तिअन्तर्गत।

मरची पंचायत अन्तर्गत छात्रवृति की राशि वितरण हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में विभिन्न वैको के माध्यम से सम्बन्धित पंचायत सेवक को राशि रू0 407380.00 उपलब्ध कराया गया था। वर्तमान में उनका स्थानान्तरण अन्यथा हो जाने के फलस्वरूप वर्तमान पंचायत सेवक को उनके द्वारा किसी भी अभिलेख का प्रभार नही किया गया इसलिए मरची पंचायत को दी जाने वाली छात्रवृति की राशि का अंकेक्षण नहीं कराया जा सका यह गम्भीर अनियमिता का परिचालक है मरची पंचायत को दी जाने वाली छात्रवृत्ति अलग अलग चेक के माध्यम से विभिन्न तिथि को दी गई थी, जो इस प्रकार है :– चेक सं0 135129 दि0 22.4.10 के द्वारा रू0 71580.00 चेक सं0 372236 दि0 23.11.11 के द्वारा रू0 35800.00 एवं चेक सं0 372208 दि0 8.9.11 के द्वारा रू0 300000.00 (तीन लाख) कुल रू0 407380.00 सीधे पंचायत को दी गई थी जिसके लिए पंचायत सचिव एवं मुखिया दोनो संयुक्त रूप से जिम्मेवार होगे।

इस सम्बन्ध में आपत्ति निर्गत किया गया था, अनुपालन में बताया गया कि जॉच कर आवश्यक कार्यवाई की जायेगी।

अतः मरची पंचायत को दी गयी राशि रू0 4,07,380.00 की गहन जॉच सक्षम पदाधिकारी से कराकर वस्तु स्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय, तबतक रू0 407380.00 का भुगतान आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है अन्यथा कि स्थिति में गबन की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सका।

(7) छात्रवृति राशि रू0 7,29,140.00 का लेखाभिलेख अनुपलब्ध आपत्तिअर्न्तगत कार्यालय का वापस करने का सुझाव :–

सभी पंचायतों के छात्रवृति लेखा की जॉच में पाया गया कि वर्ष 10–11 एवं 11–12 में छात्रवृति वितरण के लिए जो राशि उपलब्ध करायी गई थी उसमे मुख्य रूप से वर्ष 10–11 में अधिकांश पंचायतो द्वारा अभिलेख यथा रोकड़ पुस्त छात्रवृति स्वीकृति एवं भुगतान पंजी एवं अभिश्रव तथा पासवुक उपलब्ध नही कराया गया इससे यह नहीं। स्पष्ट दे पाया कि कितनी राशि का वितरण हुआ या कितनी राशि बची हुई थी। ऐसी स्थिति में यदि उक्त अवधि में राशि रू0 7,29,140 था वितरण नही हुआ तो इसके लिए पंचायत से एवं मुखिया जिम्मेवार होगे।

इस सम्बन्ध में परिशिष्ट 'घ' पर संलग्न है। इस सम्बन्ध में आपत्ति निर्गत किया गया था अनुपालन में बताया गया कि जॉचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी। सुझाव दिया जाता है कि प्रशासी विभाग द्वारा राशियों से सम्बन्धित अभिलेखों के आधार व्यय की वास्तविकता सुनिश्चित किया जाए। तथा की गई कार्यवाई से वित्त (अं0) विभाग को भी अवगत करायी जाय।

विपरित परिस्थिति में तदनुसार कारवाई अपेक्षित होगी।

(8) लेखा का संधारण त्रुटिपूर्ण।

वित्तीय वर्ष 10–11 एवं 11–12 को पंचायत को दी जाने वाली छात्रवृति की राशि का अंकेक्षण में पाया गया कि लेखा का संधारण अति दयनीय पाया गया। किसी भी पंचायत द्वारा लेखा का संधारण उचित ढंग से नहीं किया गया था। सम्भवतः लेखा सम्बन्धित जानकारी का अभाव रहा होगा।

अंकेक्षण का सुझाव है कि लेखा संधारण से सम्बन्धित पंचायत सेवक एवं मुखिया को इसकी जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था अथवा प्रशिक्षित करने व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि पंचायत स्तर पर लेखा संधारण सही ढंग से हो सके।

उप लेखा नियंत्रक
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार, पटना

मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का नाम एवं पदनाम –

1. शिवनाथ कुमार प्रसाद, व0अं0–1

परिशिष्ट – 'क'

कंडिका –1 'ड़' से सम्बन्धित।

पंचायतवार पंचायत सचिव एवं मुखिया का नाम कार्य अवधि सहित सूची ।

क्र0सं0	पंचायत का नाम	पंचायत सचिव का नाम	अवधि	पंचायत मुखिया का नाम	अवधि
1.	नकरा दियारा	श्री प्रमोद कुमार ,, विजय कुमार	1.4.10 से 30.6.11 1.7.11 से 31.3.12	श्री अशोक कु0 सिंह ,, राम अवधेश सिंह यादव	1.4.10 से 30.6.11 1.7.11 से 31.3.12
2.	पश्चिमी मैनपुरा	श्री सत्यनारायण चौधरी ,, विजय कुमार	1.4.10 से 30.6.11 1.7.11 से 31.3.12	भाई धमेन्द्र श्री निलेश प्रसाद	1.4.10 से 30.6.11 1.7.11 से 31.3.12
3.	पश्चिमी दीघा	,, गंगा राम ,, रामविलास पासवान	1.4.10 से 30.6.11 1.7.11 से 31.3.12	मु0 सविृदा परवीन श्रीमती ममता देवी	1.4.10 से 30.6.11 1.7.11 से 31.3.12
4.	उतरी मैनपुरा	,, रमेश प्रसाद ,, राम विलास पासवान	1.4.10 से 30.6.11 1.7.11 से 31.3.12	श्री सुधीर कुमार	1.4.10 से 31.3.12
5.	पूर्वी दीघा	श्री गंगा राम ,, राम विलास पासवान	1.4.10 से 30.6.11 1.7.11 से 31.3.12	श्रीमती शशी देवी	1.4.10 से 31.3.12
6.	महुली	,, उमा शंकर रविदास ,, मनोज कुमार	1.4.10 से 30.6.11 1.7.11 से 31.3.12	श्री अमरनाथ प्रसाद	1.4.10 से 31.3.12
7.	पुनाडीह	,, कृष्णकांत प्रसाद	1.4.10 से 30.6.11	श्रीमती नन्हकी देवी	1.4.10 से 30.6.11

		,, सुधांशु पाण्डे	1.7.11 से 31.3.12	,, चन्द्रावति देवी	1.7.11 से 31.3.12
8.	सबलपुर	,, कृष्णकान्त प्रसाद ,, सुधांशु पाण्डे	1.4.10 से 30.6.11 1.7.11 से 31.3.12	,, रीना देवी	1.4.10 से 31.3.12
9.	सोनावा	,, अभिमन्यू कुमार सिंह ,, खोवारी यादव	1.4.10 से 30.6.11 1.7.11 से 31.3.12	,, सीता देवी ,, अजनसिया देवी	1.4.10 से 30.6.11 1.7.11 से 31.3.12
10.	फतेहपुर	,, रामाकान्त गिरि ,, खेबारी यादव	1.4.10 से 30.6.11 1.7.11 से 31.3.12	श्री उमेश रजक	1.4.10 से 31.3.12
11.	पूर्वी मैनपुरा	,, रमेश प्रसाद ,, उमेश प्रसाद सिंह	1.4.10 से 30.6.11 1.7.11 से 31.3.12	,, मुरारी गुप्ता ,, राजेश प्रसाद	1.4.10 से 30.6.11 1.7.11 से 31.3.12
12.	मरची	–	–	–	पंचायत सेवक द्वारा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया।

परिशिष्ट–'ख'

कंडिका– 1'ट' से सम्बन्धित।

पंचायतवार प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

क्र0सं0	पंचायत का नाम	प्रस्तुत अभिलेख	अप्रस्तुत अभिलेख
1.	नकटा दियारा	(1) रोकड़ पुस्त –1.4.11 से 31.3.12	(1) उपयोगिता प्रमाण पत्र (2) रोकड़ पुस्त वर्ष–10–11
		(2) बैंक पासबुक सेन्ट्रेल बैंक जगत मार्केट दीघा लेखा सं0–1865644105	(3) छात्रों की उपस्थिति पंजी (4) अभिश्रव वर्ष 10–11
		अभिश्रव (3) वर्ष 2011–12	(5) छात्रवृति हेतु चयनित छात्रों की सूची
		(4) भुगतान पंजी वर्ष–11–12	(6) ग्राम सभा की बैठक सम्बन्धित कार्यवाही पुस्त
2.	पश्चिमी मैनपुरा	रोकड़ पुस्त–1.4.11 से 31.3.12	(1) उपयोगिता प्रमाण पत्र (2) रोकड़ पुस्त वर्ष –10–11
		बैंक पासबुक सेन्ट्रल बैंक कुर्जी पटना लेखा सं0–10149482627	(3) छात्रों की उपस्थिति पंजी (4) अभिश्रव वर्ष–10–11
		अभिश्रव वर्ष–2011–12	(5) छात्रवृति हेतु चयनित छात्रों की सूची।

		भुगतान पंजी 2011—12	(6) ग्राम सभा की बैंठक सम्बन्धित कार्यवाही पुस्त
3.	पश्चिमी—दीघा	रोकड़ पुस्त वर्ष– 10—11 एवं 11—12	(1) छात्रो की उपस्थिति पंजी (2) अभिश्रव वर्ष—10—11
		बैंक पासबुक S.B.I कुर्जी पटना ले0 सं0—30274349896	(3) छात्रवृति हेतु चयनित छात्रों की सूची —
		अभिश्रव वर्ष– 11—12	(4) उपयोगिता प्रमाण पत्र (5) ग्राम सभा बैंठक की कार्यवाही पुस्त
		भुगतान पंजी वर्ष– 11—12	—
4.	उतरी मैनपुरा	रोकड़ पुस्त वर्ष 10—11 से 11—12	(1) उपयोगिता प्रमाण पत्र (2) रोकड़ पुस्त वर्ष —10—11
		बैंक पासबुक S.B.I कुर्जी पटना ले0 सं0—10149482616	(3) छात्रों की उपस्थिति पंजी (4) अभिश्रव वर्ष– 10—11
		अभिश्रव 11—12	(5) छात्रवृति हेतु चयनित छात्रों की सूची।
		भुगतान पंजी 11—12	(6) ग्राम सभा की बैंठक सम्बन्धित कार्यवाही
5	पूर्वी दीघा	(1) रोकड़ पुस्त वर्ष 10—11 एवं 11—12 (2) अभिश्रव वर्ष—11—12	(1) उपयोगिता प्रमाण पत्र (2) अभिश्रव वर्ष—10—11

		(3) बैंक पासबुक S.B.I कुर्जी पटना ले0 सं0–30274388712	(3) चयनित छात्रो की सूची – (4) ग्राम सभा बैठक की कार्यवाही पुस्त
		(4) भुगतान पंजी	(5) छात्रों की उपस्थिति पंजी
6.	महुली	रोकड़ पुस्त वर्ष 11–12	(1) उपयोगिता प्रमाण पत्र (2) रोकड़ पुस्त वर्ष– 10–11
		बैंक पासबुक इलाहाबाद बैंक सोनावा ले0 सं0–21824966787	(3) छात्रो की उपस्थिति पंजी (4) छात्रवृति हेतु चयनित छात्रो की सूची।
		अभिश्रव वर्ष 11–12	(5) अभिश्रव वर्ष–10–11 (6) ग्राम सभा बैठक की कार्यवाही पुस्त।
		भुगतान पंजी वर्ष– 11–12	
7.	पुनाडीह	रोकड़ पुस्त वर्ष 11–12	(1) उपयोगिता प्रमाण पत्र (2) रोकड़ पुस्त वर्ष 10–11
		बैंक पासबुक S.B.I बंका घाट ले0 सं0–01170081991	(3) अभिश्रव वर्ष 10–11 (4) चायनित छात्रो की सूची–
		अभिश्रव वर्ष– 11–12	(5) ग्राम सभा बैठक की कार्यवाही पुस्त (6) उपस्थिति पंजी वर्ष 10–11 एवं 11–12
		भुगतान पंजी 11–12	

8.	सवलपुर	रोकड़ पुस्त 11–12	(1) रोकड़ पुस्त 10–11 (2) उपयोगिता प्रमाण पत्र
		बैंक पासबुक स्टेट बैंक बंका घाट ले0सं0–11784645718	(3) अभिश्रव वर्ष – 10–11 (4) चयनित छात्रो की सूची–
		अभिश्रव वर्ष 11–12	(5) ग्राम सभा बैठक की कार्यवाही पुस्त
		भुगतान पंजी वर्ष 11–12	(6) छात्रों की उपस्थिति पंजी
9.	सोनावा	रोकड़ पुस्त वर्ष 10–11 एवं 11–12	(1) उपयोगिता प्रमाण पत्र (2) छात्रो की उपस्थिति पंजी
		बैंक पासबुक इलाहाबाद बैंक सोनावा ले0 सं0–104411	(3) चयनित छात्रों की सूची (4) ग्राम सभा बैंठक की कार्यवाही पुस्त।
		अभिश्रव वर्ष 10–11 एवं 11–12	
		भुगतान पंजी वर्ष 10–11 एवं 11–12	
10	फतेहपुर	रोकड़ पुस्त 10–11 एवं 11–12	(1) उपयोगिता प्रमाण पत्र (2) अभिश्रव वर्ष 10–11
		बैंक पासबुक पंजाब नेशनल बैंक फतेहपुर पटना ले0सं0–1804000100034223	(3) चयनित छात्रो की सूची (4) ग्राम सभा बैंठक की कार्यवाही
		अभिश्रव वर्ष–11–12 भुगतान पंजी वर्ष 11–12	(5) छात्रों की उपस्थिति पंजी

11.	पूर्वी मैनपुरा	रोकड़ पुस्त 1.4.11 से 31.3.12	(1) उपयोगिता प्रमाण पत्र (2) रोकड़ पुस्त 10–11
		बैंक पासबुक स्टेट बैंक ...... कुर्जी पटना ले0 सं0–30256566414	(3) छात्रों की उपस्थिति पंजी (4) अभिश्रव वर्ष 10–11
		अभिश्रव वर्ष 11–12	(5) चयनित छात्रो की सूची (6) ग्राम सभा की बैंठक की कार्यबाही
		भुगतान पंजी	
12.	मरची	–	रोकड़ पुस्त वर्ष 10–11 एवं 11–12 अभिश्रव ,, 10–11 एवं 11–12
		–	बैंक पासबुक 10–11 एवं 11–12 चयनित छात्रो की सूची–
		–	ग्राम सभा बैंठक की कार्यवाही उपयोगिता प्रमाण पत्र

<u>प्रखण्ड स्तरीय छात्रवृति वितरण से संबंधित प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची –</u>

क्र0	प्रस्तुत अभिलेख	अप्रस्तुत अभिलेख
1.	सहायक रोकड़ पुस्त 2225	उपयोगिता प्रमाण पत्र
2.	प्रखण्ड विकास कार्यालय पासबुक	विद्यालय वार छात्रों की उपस्थित पंजी
3.	चेक निर्गत पंजी	छात्रवृति हेतु चयनित छात्रो की सूची
4.	उ0वि0 एवं म0वि0 से सम्बन्धित छात्रवृति वितरण का अभिश्रव	
5.	छात्रवृति भुगतान पंजी	

परिशिष्ट – 'ग'

(कंडिका– 3 (v) से सम्बन्धित)

पंचायतवार आय–व्यय विवरणी।

क्र0 सं0	पंचायत का नाम	वित्तीय वर्ष	प्रारम्भण शेष	प्राप्त आय	कुल प्राप्त आय	वितरित राशि (व्यय)	बचत राशि	अभियुक्ति
1.	नकटा दियारा	10–11	–	57980	57980	–	57980	
		11–12	57980	59800	117780	59800	57980	
2.	पश्चिमी मैनपुरा	10–11	–	56580	56580	–	56580	वर्ष 11–12 के बचत में से
		11–12	56580	208000	264580	184600	79980	27023400NR.सं0
							(–)23400	405704 द्वारा जमा
							56580	
3.	पश्चिमी दीघा	10–11	–	57980	57980	35440	22540	दि0 15.3.12
		11–12	–	365800	365800	200800	165000	
4.	उतरी मैनपुरा	10–11	–	56580	56580	–	56580	NR.सं0 405650
		11–12	56580	35800	92380	27360	65020	दि0 22.2.12 के
							(–)8440	द्वारा जमा
							56580	बैंक पासबुक में
5.	पूर्वी दीघा	10–11	–	52980	52980	30420	22560	जमा पाया गया।
		11–12	–	215800	215800	215800	–	श्री रामविलास
6.	महुली	10–11	–	67980	67980	–	67980	पासवान में पं0सं0
		11–12	67980	255800	323780	199320	124460	

							(–)56480 67980	के पास जमा रू0 8440 NR.सं0
7.	पूनाडीह	10–11 11–12	– 52980	52980 255540	52980 308520	– 175020	52980 133500 (–)80520 52980	405650 दि0–22.2. 12 के द्वारा रू0 225650 जमा पंचायत सचिव के
8.	सबलपुर	10–11 11–12	– 52980	52980 335800	52980 388780	– 324840	63940 (–)10960 52980	पास अवशेष राशि रू0 56480
9.	सोनावा	10–11 11–12	– –	72980 395800	72980 395800	72980 265000	– 130800	वर्ष 11–12 में बैंक
10.	फतेहपुर	10–11 11–12	– 96580	96580 635800	96580 732380	– 200000	96580 532380 (–)435800 96580	में बची हुई राशि को जमा किया गया। रू0 80520 बचत की राशि रू0 10960 को बैंक में जमा पाया गया। बचत की राशि बैंक पासबुक में जमा पाया गया। रू0 130800

								वर्ष 11–12 का अवशेष राशि पासबुक में पाया गया। 31.3.12 को रू0 435800
11.	पूर्वी मैनपुरा	10–11 11–12	– 88260	88260 155800	88260 244060	– 103600	88260 140460 (–)52200 88260	रू0 52200 NR.सं0 405639 के द्वारा दि0–18.11.11 जमा किया गया।
12.	मरची	10–11 11–12	– 71580	71580 335800	71580 407380	– –	71580 407380	कोई भी अभिलेख 10–11 एवं 11–12 का प्रस्तुत नहीं किया गया।

शीर्ष–2225

पटना सदर प्रखण्ड स्तर पर छात्रवृति वितरण से सम्बन्धित आय–व्यय विवरणी।

वर्ष – 10–11

क्र0 सं0	ईकाई का नाम	पूर्व का शेष	प्राप्त आय	कुल व्यय	व्यय राशि	बचत राशि
1.	अनु0जाति	20,00,000	38,46,530	58,46,530	54,30,520	416010
2.	अनु0ज0जाति	–	–	–	–	–
3.	अति पिछड़ा वर्ग	1500000	16,99,723	31,99,723	1,93,270	3006453

वर्ष – 11–12

1.	अनु0जाति	416010	12167220	1,25,83,230	98,40,160	2743070
2.	अनु0ज0जाति	–	–	–	–	–
3.	अति पिछड़ा वर्ग	3006453	712550	3719003	1,75,000	35,44,003

कंडिका– 7

परिशिष्ट– 'घ'

छात्रवृति की राशि रू0 729140 का लेखाभिलेख अनुपलब्ध आपत्ति अर्न्तगत की विवरणी।

क्र0सं0	पंचायत का नाम	चेक सं0 एवं तिथि	भुगतान की गई राशि	भुगतान की तिथि	अभियुक्ति
1.	नकटा दियारा	135128 22.4.10	57980.00	22.4.10	
2.	पश्चिमी मैनपुरा	135138 22.4.10	56580.00	22.4.10	
3.	पश्चिमी दीघा	372240 23.11.11	35800 3,30,000 365800 (–)2,00,000 165000	23.11.11 8.9.11	365800 (–)200800 वितरित राशि शेष 165000 बैंक में जमा
4.					
5.	पूर्वी दीघा	–	–	–	–
6.	महुली	135136 22.10.10	67980.00	22.10.10	
7.	पूजाडीह	135130 22.4.10	52980.00	22.4.10	

8.	सबलपुर	135131 22.4.10	52980.00	22.4.10	
9.	सोनावा	372210 8.9.11	130800	8.9.11	
10.	फतेहपुर	–	–	–	–
11.	पूर्वी मैनपुरा	135137 22.4.10	88260	22.4.10	
12.	मरची				

कुल रू0– 7,29,140.00